के राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश ...

P

राष्ट्रीय लोक अदालत

13/8/2022 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर में पेश हुयी। वकील वादी व तहसीलदार नीमकाथाना उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि राजस्व ग्राम सेढू का बास पटवार हल्का मांकड़ी स्थित वर्तमान भूमि खसरा नंबर 365, 373 कुल किता 02 कुल रकबा 2.57 हैक्टे0 का भू–प्रबन्धन से पूर्व राजस्व ग्राम मांकड़ी पटवार हल्का मांकड़ी था एवं इन भूमियों के पुराने खसरा नंबर 299 रकबा 11 बीघा 07 बिस्वा थे। व इनका राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी चन्द सिंह पुत्र बन्ने सिंह 1/4, सबल सिंह सुगन सिंह पि. गोपाल सिंह हिस्सा 1/2, गणपत सिंह पुत्र सांगूसिंह हिस्सा 1/4 जाति राजपूत सा0 चीपलाटा हिस्सा बराबर राहिन चिरंजीलाल, बनवारी लाल पि. मुरलीधर जाति महाजन सा0 मावण्डा खुर्द मुर्तहीन बकाश्त साधु पुत्र नोपा, बिड़दा पुत्र हेमा जाति जाट सा0 पुरानाबास बहिस्सा बराबर अंकित था। इसके पश्चात् काश्तकार बिड़दा के फौत होने पर विरासतन नामान्तरकरण संख्या 82 व 86 भरे गये जिनमें बिड़दा के पुत्र सांवल व पत्नी गोरली को बतौर खातेदार मानते हुये बकाश्त दर्ज किया गया। दौराने भूप्रबन्ध राजस्व कार्मिकों ने त्रुटिवश बकाश्त के आगे दर्ज वादी के पूर्वजों के नाम हटा दिये गये। जिस कारण वादी को भारी हकतल्फी है। अतः वादग्रस्त आराजी के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में बकाश्त शब्द के आगे मुताबिक नामान्तरकरण संख्या 82 व 86 में दर्ज नामों के अनुसार दर्ज किया जावे। वादी ने वादपत्र के साथ जमाबन्दी सम्वत 2022–25 की प्रति लगायी है। जिसमें बकाश्त [illegible] साधु पुत्र नोपा, बिड़दा पुत्र हेमा कोम जाट [illegible] पुरानाबास हिस्सा दर्ज है। एवं इन्तकाल संख्या 82 के नोट से बिड़दा की बजाए सांवल [illegible] बिड़दा व इन्तकाल संख्या 86 के नोट से बिड़दा की बजाय गोरली पत्नी बिड़दा के नाम अंकन है। संलग्न जमाबन्दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.28 17:59:42 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

सम्वत् 2038–41, सम्वत् 2043–46 में बकाश्त शब्द के आगे किसी भी प्रकार का अंकन नहीं है। तथा बकाश्त के आगे वादी व वादी की माता के नाम को हटाने का कोई कारण/नोट अंकित नहीं है। वादी ने वादपत्र के समर्थन में बतौर साक्ष्य स्वयं का लिखित व तस्दीकशुदा शपथ पत्र व गवाहान के रुप में सन्तोष देवी पुत्री भोलाराम पत्नी सरजीत सिंह जाति जाट निवासी ढ़ाणी ढ़ाबाला तन पुरानाबास के लिखित व तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किये है जिनसे भी वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि की गयी है। तहसीलदार नीमकाथाना ने इस पर कोई एतराज नही किया एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर कोई जिरह नही करने का कथन किया इसलिये जिरह शून्य रही।बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी का राजस्व रिकार्ड निम्नानुसार है:–

जमाबन्दी	प्रविष्टि
सम्वत् 2022–25	चन्द सिंह पुत्र बन्ने सिंह 1/4, सबल सिंह सुगन सिंह पि. गोपाल सिंह हिस्सा 1/2, गणपत सिंह पुत्र सांगूसिंह हिस्सा 1/4 जाति राजपूत सा0 चीपलाटा हिस्सा बराबर राहिन चिरंजीलाल, बनवारी लाल पि. मुरलीधर जाति महाजन सा0 मावण्डा खुर्द मुर्तहीन **बकाश्त साधु पुत्र नोपा, बिड़दा पुत्र हेमा जाति जाट सा0 पुरानाबास बहिस्सा बराबर**
सम्वत् 2038–41, व सम्वत् 2043–46	चन्द्र सिंह पुत्र बन्ने सिंह 1/4, सबल सिंह सुगन सिंह पि. गोपाल सिंह हिस्सा 1/2, गणपत सिंह पुत्र सांगूसिंह हिस्सा 1/4 जाति राजपूत सा0 चीपलाटा हिस्सा बराबर राहिन चिरंजीलाल, बनवारी लाल पि. मुरलीधर जाति महाजन सा0 मावण्डा खुर्द मुर्तहीन **बकाश्त**
वर्तमान जमाबन्दी 2075–2078	गणपतसिंह पुत्र सांगूसिंह हिस्सा 1/4 जाति राजपूत सा0 चीपलाटा खातेदार अ वि व राहिन चिरंजीलाल, बनवारी लाल पि. मुरलीधर जाति महाजन सा0 मावण्डा खुर्द बकाश्त सबलसिंह पि.गोपालसिंह हिस्सा 1/4 जाति राजपूत सा0 चीपलाटा खातेदार अ वि व राहिन चिरंजीलाल, बनवारी लाल पि. मुरलीधर जाति महाजन सा0 मावण्डा खुर्द **बकाश्त** सुगनसिंह पि.गोपालसिंह हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.28 17:59:42 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

	1/4 जाति राजपूत सा0 चीपलाटा खातेदार अ वि व राहिन चिरंजीलाल, बनवारी लाल पि. मुरलीधर जाति महाजन सा0 मावण्डा खुर्द **बकाश्त** चन्द्र सिंह पुत्र बन्ने सिंह हिस्सा 1/4 जाति राजपूत सा0 चीपलाटा खातेदार अ वि व राहिन चिरंजीलाल, बनवारी लाल पि. मुरलीधर जाति महाजन सा0 मावण्डा खुर्द **बकाश्त**

राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर है कि राजस्व रिकार्ड में बिना किसी कारण/सक्षम आदेश वादी व वादी के पूर्वजों के नाम बकाश्त के आगे जो दर्ज थे को आगामी जमाबन्दी से हटा दिया जो दुरुस्तनीय है। वादी के वाद पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि वाद पत्र के समर्थन में बतौर साक्ष्य प्रस्तुत शपथ पत्रों से भी होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात से वादपत्र वादी साबित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

वाद सं0 99/2022
निर्णय दिनांक 13.08.2022

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी डिक्री किया जाता है तथा राजस्व ग्राम सेढू का बास पटवार हल्का मांकड़ी स्थित वर्तमान भूमि खसरा नंबर 365, 373 कुल किता 02 कुल रकबा 2.57 हैक्टे0 के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारान के आगे अंकित बकाश्त शब्द के आगे जमाबन्दी संवत 2022—25 व नामा0 82 व 85 के अनुसार वादी व अन्य का नाम दर्ज करें। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not V
Digitally signed by
Yadav
Date: 2024.11.28 1
Reason: SelfAtteste